



(५)

न्याधात्री श्री मान् राजेंद्र मण्डल ज्योतिशर सर्किट कोई रोवा जि रोवा म



RS094-II/6

रु 20/-

केठना दाहिया तन्यश्री बंगतारो दाहिया, उम्र 75 साल निवासी ग्राम -

बड़ेठा, तहसील बिरस्तियुर जिला सतना म.प्र.

— — — निगरा नी कता'

~~रु 10 अजय पाठी~~  
जारा आव दिनांक 17-2-2016- के  
प्रस्तुत किया गया।

मिहर

व ना म

सर्किट कोई रोवा - महावीर प्रसाद तन्य श्री जागेश्वर प्रसाद दाहिया

2:- केदार प्रसाद दाहिया तन्यश्री जागेश्वर प्रसाद दाहिया

3:- फूलमती पत्नी स्व. श्री महिमन दाहिया ।

4:- अंकित दाहिया तन्य स्व. श्री महिमन दाहिया.

5:- गोरख दाहिया तन्य स्व. श्री महिमन दाहिया, उम्र 16 साल नावा त  
द्वारा छलो सरपर स्त माँ, पूर्णमती दाहिया, सभी 1 न. ग्राम छोटा तह  
बिरस्तियुर जिला सतना म.प्र.

6:- काली दू तोन्ने के पिता जागेश्वर कोट्यार सभी निवासी ग्रामीण

7:- रामवती दू तहसील बिरस्तियुर जिला सतना म.प्र.

8:- सर स्व तिया

— — — गैर निगरा नी कता' ग

निगरा नी विरह तहसीलदार महोदय, तहसील  
बिरस्तियुर जिला सतना द्वारा प्रकरण क्रमांक -  
3370/ 14-06 2015 मे पारत आदेश पत्रिक  
दिनांक - 23 12 2015

निगरा नी अन्तर्गत धारा - 50 म.प्र. भूरा ज  
सुदिता सन् 1959 ईसवी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश गवालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ—अ

मामला क्र0-R.5094-II / 16

जिला—सतना

केठना दाहिया / महावीर प्रसाद

(1)	(2)	(3)
21.03.17	<ol style="list-style-type: none"><li>प्रकरण प्रस्तुत।</li><li>आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।</li><li>चूंकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा—35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</li><li>आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापस किया जाये, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो।</li></ol>	 सदस्य